कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डीडवाना

क्रमांकः अअडी/2018–19/ 1911 दिनांक : 30-7-18

श्री राजीव गुप्ता,
संयुक्त निदेशक (आई.टी.)
कार्यालय मुख्य अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषयः– भूमि अवाप्ति हेतु बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह की मूल्यांकन रिपोर्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।
प्रसंगः– श्रीमान् मुख्य अभियंता (पथ), सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर के पत्रांकः एफ.2 (9)/ पीडब्ल्यू/ एएस/2017/डी–199 दिनांक 17.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अन्तर्गत श्रीमान् मुख्य अभियंता (पथ), सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर के पत्रांकः एफ.2 (9)/ पीडब्ल्यू/ एएस/2017/डी–199 दिनांक 17.07.2018 द्वारा गठित बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत मौलासर–तोषीणा स्टेट हाईवे–87 किमी. 14/0 से 41/650 परियोजना हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य की मूल्याकंन रिपोर्ट इस पत्र के साथ प्रस्तुत है।

कृपया मूल्यांकन रिपोर्ट को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

संलग्नः मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति

(जे.पी.यादव)
अधिशाषी अभियंता,
सा.नि.वि. खण्ड डीडवाना

कमांक/अअडी/ – – – दिनांक : – – –

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है–
1. श्रीमान् मुख्य अभियंता (पथ), सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. संभाग अजमेर।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत डीडवाना।

अधिशाषी अभियंता,
सा.नि.वि. खण्ड डीडवाना

मौलासर तोषीना रोड़ एस0एच0–87 के अंतर्गत ग्राम मौलासर, झाड़ोद, चारणों का बास, अलखपुरा, थेवड़ी एवं तोषीणा में उप मार्ग तथा ढ़िगाल, एवं आकोदा, में सड़क के घुमाव में सुधार के लिए प्रस्तावित भूमि अर्जन के लिए किये गये सामजिक समाघात आंकलन के अंतिम प्रतिवेदन का बहुआयामी विशेषज्ञ समुह द्वारा मूल्यांकन एवं अनुशंसाः–

वर्तमान परियोजना मौलासर तोषीना रोड़ एस0एच0–87 कुल लम्बाई 27.650 कि0मी0 पथ के दो लेन राज्य राजमार्ग को पटरियों के साथ दो लेन गलियारे के रूप में पुर्ननिर्माण/चौड़ीकरण कार्य के लिए नागौर जिलान्तर्गत राजस्व ग्राम मौलासर, झाड़ोद, चारणों का बास, अलखपुरा, थेवड़ी एवं तोषीणा में उप मार्ग तथा ढ़िगाल, एवं आकोदा, में सड़क के घुमाव में सुधार के लिए वांछित भूमि का अर्जन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् किया जाना है।

उपरोक्त भूमि अर्जन की अधियाचना के क्रम में अधिनियम के सुसंगत प्रावधान के तहत् कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड़ ड़ीड़वाना के आदेशानुसार मानवाधिकार सामाजिक मंच, नई दिल्ली संस्था के द्वारा सामाजिक प्रभाव का आंकलन किया गया। सामाजिक प्रभाव आंकलन के अंतिम प्रतिवेदन में बताया गया कि राजस्व ग्राम मौलासर, झाड़ोद, चारणों का बास, अलखपुरा, थेवड़ी, तोषीणा, ढ़िगाल, एवं आकोदा में प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव को सामाजिक प्रभाव शमन योजना से कम कर उचित भूमि एवं संरचना के लिए मुआवजा देकर इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है।

उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि संस्था के द्वारा अर्जनाधीन गांवों में प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों एवं हितबद्ध व्यक्तियों की बातों को समुचित रूप से सुना गया है एवं सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। मानवाधिकार सामाजिक मंच, नई दिल्ली संस्था के प्रतिवेदन के आधार पर इस परियोजना में प्रस्तावित उप मार्गों एवं सड़क के घुमावों में सुधार कार्य के लिए राजस्व ग्राम मौलासर, झाड़ोद, चारणों का बास, अलखपुरा, थेवड़ी, तोषीणा, ढ़िगाल, एवं आकोदा जिला नागौर में भूमि का अर्जन किया जा सकता है।

परियोजना की आवश्यकताः–

धनकौली रोड़ कस्तुरबा आवासीय विद्यालय से शुरू होकर डीडवाना–कुचामन मेगा हाईवे को पार कर झााडोद, ढिगाल, आकोदा एवं थेबडी होते हुये ग्राम तोषीणा (कुचामन–नागौर राज्य राजमार्ग) तक जायेगी, जिसकी कुल लम्बाई 27.650 कि0मी0 हैं। यह उप परियोजना सड़क के निर्माण से उस पर स्थित कस्बों और गाँवों में राज्य राजमार्गों (एस.एच.), राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.), प्रमुख व्यापारिक, शैक्षिक और प्रशासनिक केंद्रों के साथ बेहतर संपर्क होगा। इसके अलावा, सुधारित सड़क इस क्षेत्र के निवासियों को अपने निवास स्थानों, कार्य करने के स्थानों, विद्यालयों, अस्पतालों और बाजारों की यात्रा करने में समय की बचत करेगा। इस उप–परियोजना से सड़क के आस–पास के समस्त गाँवों में शैक्षिक, व्यापारिक, रोजगार, परिवहन तथा स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में विकास होगा। इस राज्य राजमार्ग संख्या–87(मौलासर से तोषीना सड़क) को दो लेन राज्य राजमार्ग को पटरियों के साथ दो लेन गलियारे के रूप में पुर्ननिर्माण/चौड़ीकरण किया जायेगा जिसके साथ–साथ सड़क के कन्धे का भी निर्माण तथा जल निकासी की सुविधा आदि भी शामिल किया गया है।

राजस्व ग्राम मौलासर, झाड़ोद, चारणों का बास, अलखपुरा, थेवड़ी, तोषीणा, ढ़िगाल, एवं आकोदा जिला नागौर के सामाजिक प्रभाव आंकलन के मूल्यांकन का निष्कर्षः–

1. अधियाची विभाग द्वारा यह प्रयास किया गया है कि परियोजना अंतर्गत राजस्व ग्राम मौलासर, झाड़ोद, चारणों का बास, अलखपुरा, थेवड़ी, तोषीणा, ढ़िगाल, एवं आकोदा जिला नागौर में सड़क के घुमाव में सुधार के लिए कम से कम भूमि अर्जित किया जाय। फलस्वरूप अधियाचित रकबा न्यूनतम राजस्व ग्राम मौलासर में 13.1199 हेक्टेयर निजी एवं 1.6753 हेक्टेयर सरकारी, झाड़ोद में 2.5495 हेक्टेयर निजी एवं 0.0647 हेक्टेयर सरकारी,, चारणों का बास में 0.5989 हेक्टेयर निजी, अलखपुरा में 1.6262 हेक्टेयर निजी, ढ़िगाल में 6.3050 हेक्टेयर निजी एवं 0.5585 हेक्टेयर सरकारी, आकोदा में 4.5648 हेक्टेयर निजी एवं 0.2266 हेक्टेयर सरकारी, थेवड़ी में 3.4803 हेक्टेयर निजी एवं 3.9174 हेक्टेयर सरकारी, एवं तोषीणा 12.2701 हेक्टेयर निजी, कुल 44.5147 हेक्टेयर निजी एवं 6.4425 हेक्टेयर सरकारी भूमि का अर्जन किया जाना अनिवार्य है।

2. इस परियोजना अंतर्गत भूमि अर्जन से प्रभावित ग्राव मौलासर, झाड़ोद, चारणों का बास, अलखपुरा, थेवड़ी, तोषीणा, ढ़िगाल, एवं आकोदा में कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

3. यह परियोजना इस क्षेत्र के विकास तथा रोजगार, व्यवसाय, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, सामाजिक सरोकार इत्यादि के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

4. इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन करने के कुछ मुख्य पहलू है जो कि ग्रामीणों/प्रभावित व्यक्तियों द्वारा जनसुनवाई के दौरान इगिंत किया गया, जिसका निवारण भी विभाग द्वारा किया जाए। ये पहलू निम्न प्रकार से निवेदित है–

- प्रभावित गांव के अधिकांश प्रभावित परिवारों का कहना है कि इस सड़क के लिए जो भी भूमि अर्जन किया जाना है, उसका मुआवजा उसी व्यक्ति को दिया जाय जिसका हिस्सा प्रभावित हो रहा है।
- कुछ प्रभावित व्यक्यिों का कहना है कि भूमि का अर्जन दोनों तरफ से बराबर लिया जाय।
- कुछ प्रभावित व्यक्यिों का कहना है कि अर्जित भूमि के बदले भूमि दिया जाय।

अतः इन गांवों में प्रभावित खातेदारों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए एवं उचित तथा न्यायसंगत मुआवजा तथा पुनर्वासन सहायता राशि देकर भूमि अर्जन किया जा सकता है।

अनुशंसाः–

लोक प्रयोजन के अंतर्गत परियोजना राज्य राजमार्ग संख्या–87 (मौलासर से तोषीना सड़क) कुल लम्बाई 27.650 कि0मी0 पथ के दो लेन राज्य राजमार्ग को पटरियों के साथ दो लेन गलियारे के रूप में पुर्ननिर्माण/चौड़ीकरण कार्य के लिए नागौर जिलान्तर्गत राजस्व ग्राम मौलासर, झाड़ोद, चारणों का बास, अलखपुरा, थेवड़ी एवं तोषीणा में उप मार्ग तथा ढ़िंगाल, एवं आकोदा में सड़क के घुमाव में सुधार के लिए में प्रस्तावित सड़क के घुमाव में सुधार के लिए भूमि अर्जन करने के प्रस्ताव पर किये गये सामाजिक समाघात आंकलन के अंतिम प्रतिवेदन का मूल्यांकन करने के पश्चात विशेषज्ञों की राय है कि इन गांवों में सामाजिक मूल्य कम तथा सामाजिक लाभ अधिक है, इस लिए प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को उचित एवं न्यायसंगत प्रतिकर (मुआवजा) एवं पुनर्वासन राशि का भुगतान करते हुए भूमि अर्जन किया जा सकता है।

(जे.पी. यादव)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड डिडवाना

(बनवारी लाल व्यास)
सरपंच ग्राम पंचायत तोषीणा

अनिता
सरपंच
ग्राम पंचायत अलखपुरा
पं.स. मौलासर (नागौर) राज.
(अनिता)
सरपंच ग्राम पंचायत अलखपुरा

चेनाराम
(चेनाराम)
पंचायत समिति सदस्य मौलासर
मौ[illegible]. -10

(दूदाराम पडिहार)
सेवानिवृत तहसीलदार
राजस्व विभाग

(रामकरण महला)
सेवानिवृत निरीक्षक (भू–राजस्व)
राजस्व विभाग

(जे.एम.गिठाला)
सेवानिवृत प्राचार्य
(सामाजिक वैज्ञानिक)

(पवन कुमार)
प्राध्यापक
(सामाजिक वैज्ञानिक)

Scanned by CamScanner